

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2000 (श्रावण 11, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

(1) पृथक्कृत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) श्री मुंशीलाल, सदस्य, का नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-2.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के निर्यातक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का -

(क) क्रमांक - 4 (सिविल),

(ख) (वाणिज्यिक) क्रमांक - 2; तथा

(ग) क्रमांक - 1 (राजस्व प्राप्तिर्षी),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, नरेन्द्र बिरधरे, लालसिंह, सदस्य, मुरैना जिले के केदारस सहकारी शक्कर कारखाने के प्रबंधकों द्वारा कृषकों के नाम पर गन्ने का फर्जी क्रय किए जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जोधाराम गुर्जर, पन्चूलाल प्रजापति, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, भोपाल जिले के कोलूखेड़ी ग्राम में भूमिहीनों को पट्टे न मिलने की ओर राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जाजगीर-छापा जिले के -

(क) नैला-पन्तोरा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) अकलतरा नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(ग) बलौदा नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(घ) अकलतरा नगर से ग्राम खोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ङ.) केरकछार-गतवा मार्ग के करी नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम देवकिरारी स्थित हाईस्कूल का उत्थान कराये जाने,

(छ) ग्राम कड़गहन के शिवपुर व मुड़ाभाठा मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने; तथा

(ज) ग्राम पन्तोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित
समय

6. नियम 138 के अधीन अखिलमन्त्रीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा
30 मि.

(2) झरगी बांध योजनांतर्गत कार्य तट नहर का निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री रामप्रताप सिंह, प्रभाकर सिंह, लक्ष्मेश सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा
30 मि.

(3) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री राजेन्द्र भारती (दत्तिया), श्री नरेन्द्र बिरधरे, डॉ. गौरीशंकर शंजवार, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह, हरीशंकर जायसवाल (हरि शैया), भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, कमल पटेल, श्रीमती सुधा जैन, श्री राकेश शुक्ला, श्री रसाल सिंह, श्रीमती शबनम मौसी, श्री रणवीर सिंह तथा श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 1 अगस्त, 2000

के.पी. सिवायी
सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.